केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कनिष्ठ अभियंताओं का स्थानांतरण

3440. श्री ग्रहमदेव आनन्द पासवान :

डा० बापू कालदाते :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (सी० पी०डब्ल्यू०डी०) के अधिकांश कनिष्ठ अभियंता विगत पांच वर्षों से एक जगह में काम कर रहे हैं, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ख) उनके स्थानान्तरण के सम्बन्ध में सरकार की नीति तथा नियम क्या क्या हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि स्थानान्तरण हो जाने के पश्चात् भी कनिष्ठ अभियंताओं को उनके कार्यभार से मुक्त नहीं किया गया है ;

(घ) क्या यह सच है कि देवनगर, लक्ष्मीबाई नगर, दक्षिणी मोती बाग, नानकपुरा तथा आर.के.पुरम में तैनात कनिष्ठ अभियंता लम्बी अवधि से यहां कार्य कर रहे हैं तथा इन सरकारी कालोनियों में काम संतोषजनक रूप से नहीं हो रहा है ; और

(ङ) सरकार इस सम्बन्ध में क्या उपचारी उपाय करने का विचार रखती है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री और जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री पी०के० थूगन) : (क) से (ग) निर्धारित नीति के अनुसार केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में कनिष्ठ इंजीनियरों के लिए एक ही स्थान पर रहने की सामान्य अवधि 4 वर्ष है और दिल्ली के मामले में यह अवधि 10 वर्ष है। दुर्गम क्षेत्रों के मामले में यह अवधि दो वर्ष है। कार्य की अत्यावश्यकता अथवा अनुकम्पा के आधार पर कुछ मामलों में एक ही स्थान पर रहने की अवधि को बढ़ा दिया जाता है। कुछ मामलों में तैनाती आदेश जारी होने के पश्चात भी, किसी स्थान विशेष पर रहने की अवधि में बढ़ोत्तरी के लिए अनुरोध पर निर्णय लिए जाने तक, कनिष्ठ इंजीनियरों को कार्यमुक्त नहीं किया गया है ।

(घ) जी, हां। यह सत्य है कि देव नगर, लक्ष्मीबाई नगर, साउथ मोती बाग नानक पुरा और आर०के० पुरम सेवा केन्द्रों में तैनात कुछ कनिष्ठ इंजीनियर वहां 5 वर्ष से भी अधिक समय से कार्य कर रहे हैं क्योंकि दिल्ली में रहने की अवधि 10 वर्ष है। तथापि, इन कालोनियों में कार्य को संतोषप्रद ढंग से किया जा रहा है ।

(ङ) उपर्युक्त भाग (क) से (ग) तक के उत्तर में बताये अनुसार कनिष्ठ इंजीनियरों को सामान्यत: दिशा-निर्देशों के अनुसार स्थानान्तरित किया जा रहा है।

अनधिकृत कालोनियों को नियमित करना

3441. श्री रत्न बहादुर राय :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के शेष अनधिकृत कालोनियों को नियमित करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) अनधिकृत कालोनियों में नागरिक सुविधाओं की स्थिति क्या है; और

(ग) क्या शहरीकरण आयोग के प्रतिवेदन की सिफारिशों तथा सरकार की राष्ट्रीय आवास नीति के अनुसार कोई कार्य योजना आरम्भ की गई है ?